"प्ररूप 4–ख
[देखिए नियम 26(4) तथा 27]

....(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम, वार्ड संख्या...................... ब्लाक................जिला..................................) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र और प्ररूप 4–क सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी...................................आयु...........................वर्ष............................. (पूरा डाक पता वर्णित करें) का/की निवासी हूँ, उपरोक्त निर्वाचन से उम्मीदवार हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, और शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँः–

(1) मैं...............................(राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार हूँ/स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा/रही हूँ।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम.............................(ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् का नाम), वार्ड संख्या..........में कम संख्या...................पर है।

(3) मेरा सम्पर्क/टेलीफोन नम्बर......................है/हैं और मेरा ई–मेल आई डी (यदि कोई हो)....................है।

(4) यह कि मैने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 में यथा अधिकथित के अधीन निम्न अयोग्यता प्राप्त नहीं की हैः–

(क) मैं किसी ऐसे अपराधिक मामले जो दस वर्ष के कारावास से कम दण्डनीय नहीं है, में सिद्धदोष नहीं किया गया हूँ और मेरे विरूद्ध आरोप भी नहीं लगाए हैं।

(ख) मैं किसी प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के उसकी ओर किसी प्रकार के देय के किन्हीं बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ। कथित संख्या (संस्थाओं) से आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ग) मैं बिजली बिलों के बकायों का भुगतान करने में असफल नहीं रहा हूँ, सम्बन्धित विद्युत उपयोग का आदेय प्रमाण पत्र संलग्न है।

(घ) मैने किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास की है।

या

मैनें मिडल कक्षा पास की है।
(किसी महिला उम्मीदवार या अनुसूचित जाति से सम्बन्धित उम्मीदवार की दशा में)

या

मैने पांचवी कक्षा पास की है।
(पंच के पद के लिए निर्वाचन लड़ रही अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिला उम्मीदवार की दशा में) सम्बद्ध संस्था/बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सही सत्यापित प्रति संलग्न है।

(ड) मेरे निवास स्थान पर कार्यशील शौचालय है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर नामित, अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें से कोई तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

अभिसाक्षी

....

टिप्पण1:– शपथ पत्र/घोषणा, नामांकन भरने के अंतिम दिन को 3 बजे से पहले तक फाईल किया जाना चाहिए।

टिप्पण2 :– पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सदस्य के चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाले उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) /तहसीलदार/नायब तहसीलदार (जिसे कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हो) के सम्मुख शपथ–पत्र पर प्रस्तुत की जाएगी।

टिप्पण3:– ग्राम पंचायत के पंच तथा संरपच के पद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के मामले में, उस द्वारा सूचना सादे कागज पर तैयार करके देनी होगी।

टिप्पण4:– सभी कालम भरे जाने चाहिएं और कोई कालम खाली न छोड़े। यदि किसी मद के संबध में कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं होता" जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 5:– शपथ पथ/घोषणा या तो टंकित या सुपाठ्य तथा साफ–साफ लिखी होनी चाहिए"।